कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़(छ.ग.)

Phone No. : (07762) 232668, E-mail : cmhoraigarh@rediffmail.com

क्रमांक / स्था.अवि. / नर्सिंग / 2020 / 19199 / रायगढ़, दिनांक 15/10/2020

/ / सूचना / /

विषय :– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला/ बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला/ए.एन.एम. की रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु जारी अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन कर दावा–आपत्ति आमंत्रित करने के संबंध में।

——00——

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक / स्थापना नर्सिंग / ... / 2020 / 586 / नवा रायपुर, दिनांक 14.08.2020 के तहत् जिला रायगढ़ के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ''महिला'' / बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला / ए.एन.एम. के कुल 21 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके तहत् योग्य अभ्यार्थियों से विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में दिनांक 18.08.2020 से 01.09.2020 तक कार्यालयीन समय सायं 05:00 बजे तक ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष ब्लॉक 'ए' तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक / 03 / नर्सिंग स्था. / एफ 170 / 2020 / 505, अटल नगर, दिनांक 12.10.2020 के तहत् अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑन–लाईन आवेदनों के आधार पर आवेदकों के कुल 1671 पूर्ण आवेदनों की सूची प्रदाय किया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. द्वारा प्रदाय की गयी सूची को चयन समिति द्वारा परीक्षण कर प्राप्तांकों के आधार पर घटते क्रम में तैयार करने उपरांत **''कार्यालयीन सूचना पटल पर''** एवं जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में अपलोड किया गया है। उक्त सूची में यदि किसी भी अभ्यार्थी को उनके **''केवल कुल प्राप्तांकों के आधार पर''** किसी भी प्रकार से आपत्ति हो तो वे **ई–मेल आईडी anmbhartirgh@gmail.com** पर **दिनांक 16.10.2020 से दिनांक 25.10.2020 तक** कार्यालयीन समय सायं 05:00 बजे तक सप्रमाण निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज संलग्न करते हुए दावा–आपत्ति अभ्यावेदन केवल ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में ऑफ लाईन अथवा किसी भी अन्य माध्यम से दावा आपत्ति अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् किसी भी प्रकार से दावा–आपत्ति अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। संबंधित अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, दावा आपत्ति अभ्यावेदन केवल अभ्यार्थी के कुल प्राप्त अंकों पर ही स्वीकार किया जावेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार दावा आपत्ति प्रारूप सहित अनंतिम मेरिट सूची 81 पेज।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)